बिहार सरकार <u>नगर विकास एवं आवास वि</u>भाग

अधिसूचना

संख्या—11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)—14 / 2016.....<u>9 २५</u>.....न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक—25/...े/।

बिहार भवन उपविधि, 2014 के उपविधि—1(2)(v)(vi) में उपबंधित के अनुरूप राज्य सरकार एतद् द्वारा **छपरा आयोजना क्षेत्र** के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भवन सम्बन्धी क्रियाकलापों को विनियमित करने के उद्देश्य से बिहार भवन उपविधि, 2014 का कार्यान्वयन अधिसूचित करती है।

- 2. **छपरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार** के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इन ग्रामीण क्षेत्रों में भवन / लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।
- 3. इन क्षेत्रों में भवन योजना / लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु आवेदन छपरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।
- 4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी योजना की स्वीकृति के पूर्व आवश्यक जाँच/सत्यापन करेंगे एवं संतुष्ट हो लेंगे कि आवेदित योजना बिहार भवन उपविधि—2014, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप है।
- 5. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सम्यक सत्यापन एवं जाँच की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त भवन / लेआउट योजना के नक्शे को स्वीकृति प्रदान करेंगे।
- 6. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।
- 7. छपरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में शामिल शहरी क्षेत्र में भवन/लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 पूर्व से प्रभावी है। इन क्षेत्रों में नक्शों की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी पूर्ववत् सक्षम प्राधिकार रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(चैतन्य प्रसाद) प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास व्रिभाग।

ज्ञापांक—11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)—14/2016*979*/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-25/7/19

प्रतिलिपि—अध्यक्ष, छपरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार—सह—प्रमण्डलीय आयुक्त, प्रमण्डलीय आयुक्त, प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण, छपरा / उपाध्यक्ष, छपरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार—सह जिलाधिकारी, सारण (छपरा) / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सदस्य सचिव, छपरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार / सभी संबंधित अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सर्चिव,

ज्ञापांक—11/न॰वि॰/मा॰प्लान(आ॰क्षे॰)—14 / 2016 **५.२५**...../ न॰वि॰ एवं आ॰वि॰, पटना, दिनांक-25/ २//९ प्रतिलिपि—अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग, ई—गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी॰डी॰ के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास वर्व आवास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

प्रधान सचिव,

ज्ञापांक—11/नंविवं/माव्प्लान(आवक्षेव)—14/2016 . 9.39.../नंविवं एवं आविवं, पटना, दिनांक—25/3/19 प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार—सह—अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड/सभी सदस्य, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड/सभी विभाग के

आयोजना तथा विकास बोर्ड / सभी सदस्य, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड / सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / सभी प्रमण्डलीय अगरका अगरका

आयुक्त / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

/ '/ // प्रधान सर्चिव.

ज्ञापांक—11/निव्विव्यानिविव्यानिविव्यानिवयानिव्यानिव्यानिव्यानिव्यानिव्यानिव्यानिव्

नगर परिषद एवं नगर पंचायत / सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

Government of Bihar <u>Urban Development & Housing Department</u>

NOTIFICATION

No.-11 / न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)—22 / 2016......./UD&HD, Patna, Dated-...?//

In accordance with the provisions made in Bye Laws, 2014 No.-1(2)(v)(vi) of Bihar Building Bye Laws, 2014, the State Government, for the purpose of regulation of building construction activities in the Gram Panchyat Area(s) of **Chhapra Planning Area**, do hereby, notify implementation of Bihar Building Bye Laws, 2014.

- 2. The Chief Executive Officer of Chhapra Planning Area Authority shall be the Competent Authority for sanctioning of Building/Layout Plans in theses rural areas.
- 3. The application for Building/Layout Plan in these area shall be received in the office of Chhapra Planning Area Authority.
- **4.** Before sanctioning of Plan, the Chief Executive Officer, shall do required verification/inspection and satisfy himself that the applied plan is in accordance with the provisions made in Bihar Building Bye Laws-2014, Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 and Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014.
- 5. After due verification and completing the process of enquiry, the Chief Executive Officer shall sanction the Building/Layout Plan.
- 6. This notification shall come into force at once.
- 7. Bihar Building Bye Laws, 2014 is already effective for sanctioning of Building/Layout Plan in Urban Area(s) of Chhapra Planning Area Authority. For sanctioning of plan(s) in these area(s) concerned Chief Municipal Officer shall remain Competent Authority as earlier.

By order of the Governor of Bihar,

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No.-11 / न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)—22 / 2016. 980...../UD&HD/Patna, dated -25/ \(\frac{1}{2} \)

Copy to-Chairman, Chhapra Planning Area Authority-cum-Divisional Commissioner, Saran Division, Chhapra / Vice Chairman, Chhapra Planning Area Authority-cum-District Magistrate, Saran (Chhapra) / Chief Executive Officer-cum-Member Secretary, Chhapra Planning Area Authority/ All Members of Chhapra Planning Area Authority/ Concerned all Circle Officer for kind information and necessary action.

Principal Secretary

Memo No.-11/निविव / मार्प्लान(आव्होंव)—22 / 2016... 980......../UD&HD/Patna, dated - 25/7/19

Copy to-Suprintendant, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna/ E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with C.D. for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of published Gazette to Urban Development and Housing Department.

Principal Secretary

Memo No.-11/निवंवि / मार्प्लान(आव्होव)—22 / 2016. /UD&HD/Patna, dated - 25/ 7/19

Copy to-Chief Secretary, Bihar, Patna/Development Commissioner, Bihar-cum-Chairman Bihar Urban Planning and Development Board/ All Member of Bihar Urban Planning and Development Board/ All Principal Secretary/Secretary/ Head of the Department/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar/All Divisional Commissioner/ All District Magistrate for information and necessary action.

Principal Secretary

Principal Secretary